📰 **आयोग के आदेश की भी नहीं हुई पालना, PWD के खिलाफ फिर पहुंचा मामला राज्य सूचना आयोग**

कुचामन सिटी | 14 जुलाई । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत **रेलवे पुलिया से नाइयों की ढाणी में मिसिंग लिंक डामरीकरण योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24)** से संबंधित अभिलेखीय सूचना मांगने वाले आवेदक **जगदीश प्रसाद** निवासी नारायणपुरा ने आयोग के आदेश की अनुपालना नहीं होने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग में Non-Compliance आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक के अनुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने **21 मई 2026** को पारित आदेश में राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (PWD), परबतसर को **30 दिनों के भीतर** मांगी गई समस्त अभिलेखीय एवं अधिप्रमाणित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। आयोग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया था कि विभाग द्वारा आयोग के नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा भविष्य में सूचना आवेदन एवं आयोग के नोटिसों का समयबद्ध उत्तर देने की चेतावनी दी गई थी।

आवेदक का कहना है कि **मूल आरटीआई आवेदन का समय पर उत्तर नहीं दिया गया, प्रथम अपील के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, द्वितीय अपील की सुनवाई के बाद आयोग द्वारा स्पष्ट आदेश पारित होने के बावजूद आज तक अभिलेखीय सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।** इसके चलते **14 जुलाई 2026** को आयोग के समक्ष Non-Compliance आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आवेदन में आयोग से आदेश की तत्काल अनुपालना सुनिश्चित कराने, संबंधित लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की **धारा 20(1)** के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई, **धारा 20(2)** के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति तथा आवश्यकता होने पर विभागीय जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

अब इस मामले में आयोग की अगली कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। यदि आयोग यह पाता है कि उसके आदेश की अनुपालना नहीं की गई है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई कर सकता है।

Complaint Submitted Successfully And Inward Submitted Successfully Inward No. IsDAK/ON/2026/08607

सेवा में,

माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त महोदय,

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।

विषय: द्वितीय अपील संख्या **RIC/NAGR/A/2026/005758** में पारित निर्णय दिनांक **21.05.2026** की अनुपालना न किए जाने के संबंध में गैर-अनुपालना (Non-Compliance) आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक **27.08.2025** को लोक निर्माण विभाग (PWD), परबतसर के समक्ष सूचना आवेदन प्रस्तुत किया था। निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील के उपरांत भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके फलस्वरूप माननीय आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी।

माननीय आयोग द्वारा द्वितीय अपील संख्या **RIC/NAGR/A/2026/005758** में दिनांक **21.05.2026** को निर्णय पारित करते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, परबतसर को निर्देशित किया गया कि निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर मेरे आरटीआई आवेदन दिनांक **27.08.2025** में मांगी गई समस्त अभिलेखीय सूचना/स्पष्ट विनिश्चय अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

माननीय आयोग ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रत्यर्थी को सावचेत किया गया कि सूचना आवेदन एवं आयोग के नोटिसों का उत्तर विहित समयावधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु अत्यंत खेद के साथ निवेदन है कि माननीय आयोग के स्पष्ट आदेश एवं चेतावनी के बावजूद आज दिनांक तक न तो मांगी गई पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है, न ही आदेश की समुचित अनुपालना की गई है। न तो कोई अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न ही आदेश का पालन न करने का कोई वैध स्पष्टीकरण दिया गया है। यह माननीय आयोग के वैधानिक आदेश की अवहेलना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना के विपरीत है।

यह भी उल्लेखनीय है कि:

1. मूल आरटीआई आवेदन का समय पर उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. प्रथम अपील के उपरांत भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
3. द्वितीय अपील की सुनवाई में प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ।
4. आयोग द्वारा जारी नोटिस का भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. माननीय आयोग ने अपने निर्णय में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का स्पष्ट आदेश पारित किया।
6. आयोग द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक आदेश की अनुपालना नहीं की गई।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माननीय आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया है। साथ ही, प्रकरण सार्वजनिक धन से संबंधित सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में अभिलेखीय सूचना उपलब्ध कराने में लगातार विलंब होने से यह आशंका उत्पन्न होती है कि संबंधित अभिलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

अतः माननीय आयोग से विनम्र प्रार्थना है कि:

1. माननीय आयोग के निर्णय दिनांक **21.05.2026** की तत्काल एवं प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित कराई जाए।
2. प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी को मेरे आरटीआई आवेदन के समस्त बिंदुओं की पूर्ण, बिंदुवार, अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित एवं निःशुल्क सूचना तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. प्रत्यर्थी को **कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)** जारी कर यह स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए कि आयोग के आदेश की अनुपालना न करने पर उसके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा **20(1)** के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए।
4. यदि आयोग को यह प्रतीत हो कि सूचना बिना उचित कारण रोकी गई अथवा आयोग के आदेश की जानबूझकर अनुपालना नहीं की गई, तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की **धारा 20(1)** के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाए तथा **धारा 20(2)** के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाए।
5. न्यायहित में लोक निर्माण विभाग, परबतसर के पास उक्त सड़क निर्माण कार्य से संबंधित उपलब्ध संपूर्ण अभिलेख, जैसे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, DPR, अनुमान, निविदा, कार्यादेश, फाइल नोटिंग, मापन पुस्तिका (MB), बिल, भुगतान अभिलेख, गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेख, पत्राचार, कार्य स्थगन/कार्य वापसी (Withdrawal) संबंधी अभिलेख तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने अथवा उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएँ।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम विभागीय प्राधिकारी से इस प्रकरण की **विभागीय जांच** कराकर यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही, आदेश की अवहेलना अथवा अभिलेखों के संबंध में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएँ।
7. माननीय आयोग द्वारा अपने निर्णय में प्रत्यर्थी को दी गई चेतावनी के बावजूद आदेश की अनुपालना नहीं की गई है। अतः आयोग अपने निर्णय में उल्लिखित चेतावनी के अनुरूप प्रत्यर्थी के विरुद्ध **विधिसम्मत कार्यवाही** करने की कृपा करे।
8. माननीय आयोग न्यायहित में अन्य उचित एवं आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करे।

संलग्नक:

1. आयोग के निर्णय दिनांक 21.05.2026 की प्रति।
2. मूल आरटीआई आवेदन की प्रति।
3. अन्य आवश्यक दस्तावेज।

जगदीश प्रसाद

भवदीय - जगदीश प्रसाद
दिनांक 14/7/2026

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा
जवाहरलाल नेहरू मार्ग,जयपुर-302017

क्रमांक: - रासूआ / निर्णय / RIC/NAGR/A/2026/005758 दिनांक: - 22/05/2026

द्वितीय अपील संख्या : RIC/NAGR/A/2026/005758

अपीलार्थी	प्रत्यर्थी
JAGDISH PRASAD, S/O: BODU RAM, , NAIYO KI DHANI, , , NARAYANPURA Didwana-Kuchaman,341508	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड परबतसर, सा.नि.वि. खण्ड परबतसर जिला नागौर (राज.),नागौर 302001

महोदय

उपरोक्त द्वितीय अपील में प्रदत्त निर्णय की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है

सलंग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

पंजीयक

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

द्वितीय अपील संख्या RIC/NAGR/A/2026/005758

अपीलार्थी	बनाम प्रत्यर्थी
श्री जगदीश प्रसाद, पुत्र श्री बोदूराम, पता–ग्राम नारायणपुरा, तहसील–कुचामन सिटी, जिला–डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (PWD), परबतसर, जिला–डीडवाना–कुचामन, (राजस्थान)

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक:–21/05/2026

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
3. मैंने अपीलार्थी को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 27.08.2025 के द्वारा, खसरा नम्बर 259 पर रेलवे पुलिया से नाइयों की ढ़ाणी तक स्वीकृत सड़क का नाम, वर्क कोड, कार्य प्रारंम्भ करने की दिनांक जी–शैडयूल, कार्य की समय सारिणी, मजदूरी का विवरण, स्वीकृत सड़क की लम्बाई–चौड़ाई, सड़क की अनुमानित लागत, सामग्री एवं लेबर बजट राशि, ठेकेदार को भुगतान के बिल वाउचर्स, भुगतान रजिस्टर, नक्शा, ले–आउट, डिजायन, डी.पी.आर. खसरा नम्बर 259 पर सड़क निर्माण कार्य संबंधी शिकायत या आपत्ति प्रस्तुत की गई है तो उसका विवरण, इत्यादि के संबंध में 15 बिन्दुओं की विस्तृत सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने तथा प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर, आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के समय, आयोग के समक्ष अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया कि उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, और सूचना नहीं देने का कोई कारण भी नही बताया गया है।

REGISTRAR
Information Commission
JAIPUR

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

6. आयोग द्वारा जारी नोटिस के क्रम में, प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर प्रेषित नहीं किया है। प्रत्यर्थी को सावचेत किया जाता है, कि सूचना आवेदनों एवं आयोग के नोटिसों का उत्तर, विहित समयावधि में ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार यह स्पष्ट होता है, कि प्रत्यर्थी ने आवेदन के अनुसार वांछित सूचना/विनिश्चय, अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है, जबकि विहित समयावधि में सूचना/विनिश्चय प्रेषित किया जाना विधिक बाध्यता है।
8. प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाता है, कि निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस में, अभिलेखीय सूचना/स्पष्ट विनिश्चय, प्रत्यर्थी कार्यालय में अथवा प्रत्यर्थी की पहुँच में, जिस रूप में संधारित हों, उसी रूप में, अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षर कर, पंजीकृत पत्र द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।
9. अस्तु, यह अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।
10. निर्णय घोषित।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

(महेन्द्र कुमार पारख)
राज्य सूचना आयुक्त

राजस्थान राज्य सूचना आयोग (कोर्ट-3) सत्यमेव जयते जयपुर

REGISTRAR
Information Commission
JAIPUR

Second appeal number

RIC/NAGR/A/2026/005768

द्वितीय अपील

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत)

अपीलकर्ता –

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बोदूराम जाट, निवासी– ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान) मोबाइल नं. 7427880561

सेवा में,

माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर (राजस्थान)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील।

संदर्भ :– 1. RTI आवेदन संख्या–152502920309872, दिनांक 27–08–2025

2. प्रथम अपील संख्या–152129546135567, दिनांक 24–10–2025

महोदय,

निवेदन है कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27–08–2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत एक ऑनलाइन आवेदन (RTI आवेदन संख्या– 152502920309872) लोक निर्माण विभाग (PWD), परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान) को प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन रेलवे पुलिया से नाईयों की ढाणी तक खसरा नंबर 259 पर स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य से संबंधित था, जिसमें कुल 15 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी।

परंतु अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा (26–09–2025) तक अपीलकर्ता को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त आवेदन का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके पश्चात अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 24–10–2025 को अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील (प्रथम अपील संख्या– 152129546135567) प्रस्तुत की गई।

दुर्भाग्यवश प्रथम अपील के पश्चात भी अधिनियम के अनुसार निर्धारित 45 दिनों की अवधि के भीतर न तो कोई आदेश पारित किया गया और न ही अपीलकर्ता को कोई सूचना उपलब्ध कराई गई।

यह स्पष्ट है कि संबंधित जन सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब किया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने के बावजूद प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) द्वारा भी अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जो अधिनियम की भावना के विपरीत है।

लगातार.....2

इससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 27–09–2025 से विलंब की अवधि प्रारंभ मानी जाती है जो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

साथ ही मांगी गई सूचना सार्वजनिक निर्माण कार्य (सड़क निर्माण) से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक धन का उपयोग किया या किया जाना था, अतः यह सूचना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है।

अतः माननीय आयोग से विनम्र निवेदन है कि–

1. अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सभी 15 बिंदुओं की सूचना प्रमाणित प्रतियों सहित उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित किया जाए।
2. सूचना उपलब्ध कराने में हुई देरी के संबंध में संबंधित जन सूचना अधिकारी से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत संबंधित जन सूचना अधिकारी पर रू. 250 प्रतिदिन (अधिकतम रू. 25,000) तक का दंड लगाया जाए।
4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के संबंध में भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।
5. अधिनियम की धारा 19(8) के अंतर्गत विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पुनः न हो।
6. माननीय आयोग से निवेदन है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य से संबंधित संपूर्ण मूल फाइल (नोटशीट, DPR, अनुमान, मापन पुस्तिका, बिल–वाउचर, भुगतान विवरण आदि) का अपीलकर्ता को फाइल निरीक्षण (File Inspection) करने की अनुमति प्रदान की जाए तथा सभी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित किया जाए, क्योंकि प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।
7. इस प्रकरण की सुनवाई निर्धारित कर न्याय प्रदान किया जाए।

संलग्नक :

1. RTI आवेदन की प्रति (दिनांक 27–08–2025)
2. प्रथम अपील की प्रति (दिनांक 24–10–2025)
3. ऑनलाइन आवेदन की रसीद/प्रमाण

जगदीश प्रसाद

दिनांक :– 6-3-2026

अपीलकर्ता

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बोदूराम जाट

प्रार्थना पत्र

सेवामें,

माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :– द्वितीय अपील की शीघ्र सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर द्वितीय अपील में मांगी गई सूचना सार्वजनिक निर्माण कार्य (सड़क निर्माण) से संबंधित है। सूचना लंबे समय से उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः प्रकरण सार्वजनिक हित से जुड़ा होने के कारण निवेदन है कि इस अपील की शीघ्र सुनवाई निर्धारित करने की कृपा की जाए।

दिनांक :– 6-3-2026

जगदीश प्रसाद

अपीलकर्ता
जगदीश प्रसाद पुत्र
श्री बोदूराम जाट
मो. 7427880561

First appeal number 152129546135567

प्रथम अपील पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत)

सेवा में,

माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी,

लोक निर्माण विभाग (PWD),

परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन,

राजस्थान।

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील – आवेदन संख्या 152502920309872 के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैंने दिनांक 27 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत एक ऑनलाइन आवेदन (आवेदन संख्या 152502920309872) लोक निर्माण विभाग, परबतसर को भेजा था।

यह आवेदन "रेलवे पुलिया से नाईयों की ढाणी तक खसरा नंबर 259 पर स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य" से संबंधित था, जिसमें मैंने बिंदु 1 से 15 तक विस्तृत सूचनाएं मांगी थीं।

आज दिनांक तक मुझे विभाग की ओर से कोई उत्तर या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। इस अवधि में सूचना न देना अधिनियम का उल्लंघन है।

अतः निवेदन है कि–

1. मेरे मूल आवेदन में मांगी गई सभी 15 बिंदुओं की सटीक, स्पष्ट और बिंदुवार सूचना (Style & Strict Information) शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

2. संबंधित जन सूचना अधिकारी से विलंब का कारण प्राप्त किया जाए।

3. अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार, सूचना प्रदान करने में अनुचित देरी हेतु संबंधित जन सूचना अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई (Penalty) की अनुशंसा की जाए।

4. यदि सूचना पहले से तैयार है, तो उसकी प्रमाणित प्रति (Certified Copy) उपलब्ध कराई जाए।

आपसे अनुरोध है कि इस अपील पर शीघ्र सुनवाई कर मुझे वांछित सूचना और न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

दिनांक: 24-10-2025

अपीलकर्ता:

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बोदूराम जाट

निवासी ग्राम नारायणपुरा, तहसील कुचामन,

जिला डीडवाना-कुचामन (राजस्थान)

मोबाइल: 7427880561

हस्ताक्षर: जगदीश प्रसाद

(जगदीश प्रसाद)

सेवामें,

RTI number 152502920309872

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी,
लोक निर्माण विभाग (PWD),
परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत रेलवे पुलिया से नाईयों की ढाणी तक खसरा नंबर 259 पर स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य संबंधी सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं, जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम नारायणपुरा, तहसील कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान), सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्न जानकारी चाहता हूँ :–

1. रेलवे पुलिया से नाईयों की ढाणी तक बनने वाली सड़क/खसरा नंबर 259 पर स्वीकृत सड़क का नाम, वर्क कोड, कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक और कार्य कार्यक्रम (जी–शेड्यूल) की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, जिसमें कार्य की योजना, चरणबद्ध समय–सारणी, सामग्री और मजदूरी का विवरण शामिल हो।
2. उक्त सड़क निर्माण की स्वीकृत लंबाई एवं चौड़ाई की प्रमाणित प्रति।
3. उक्त सड़क निर्माण हेतु अनुमानित कुल लागत, अनुमानित सामग्री राशि एवं अनुमानित लेबर बजट राशि की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
4. उक्त सड़क निर्माण में वास्तविक लागत, वास्तविक सामग्री व्यय एवं वास्तविक लेबर खर्च का विवरण सहित प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
5. उक्त सड़क निर्माण में लेबर एवं ठेकेदार को भुगतान की गई राशि से संबंधित बिल, वाउचर एवं भुगतान रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
6. उक्त कार्य में उपयोग की गई समस्त सामग्री की रिपोर्ट/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
7. उक्त सड़क निर्माण किन–किन खसरा नंबरों से होकर प्रस्तावित था अथवा किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति।
8. उक्त सड़क निर्माण से संबंधित नक्शा (लेआउट/डिजाइन) / DPR एवं सीमांकन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
9. यदि उक्त कार्य को विभाग द्वारा वापस लिया गया (withdrawal किया गया) है तो उसका आदेश संख्या, दिनांक, विस्तृत कारण, विभागीय स्तर पर लिए गए निर्णय, फाइल नोटिंग एवं पत्राचार की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
10. यदि withdrawal किया गया तो स्वीकृत राशि को किस दिन, किस आदेश के तहत और किस खाते/कोषागार (treasury) में वापस जमा किया गया, उसका पूरा ब्यौरा एवं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

लगातार....2

11. उक्त कार्य पर withdrawal से पहले यदि कोई राशि व्यय की गई थी, तो उसकी मापन पुस्तिका (Measurement Book) एवं भुगतान विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
12. यदि कार्य को किसी अन्य गांव/स्थान पर स्थानांतरित (transfer) किया गया है तो उसका आदेश, नई DPR, स्थान विवरण, माप पुस्तिका व भुगतान विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
13. क्या उक्त कार्य माननीय विधायक/अन्य अधिकारी की सिफारिश या हस्तक्षेप पर किसी अन्य स्थान/गांव में स्थानांतरित किया गया है? यदि हाँ, तो माननीय विधायक/अन्य अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र/प्रस्ताव एवं उस पर विभागीय स्वीकृति/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
14. उक्त खसरा नंबर 259 पर सड़क निर्माण कार्य संबंधी यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा शिकायत या आपत्ति प्रस्तुत की गई थी तो उसका विवरण, निवारण की कार्यवाही एवं उससे संबंधित आदेश/रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
15. वर्तमान स्थिति खसरा नंबर 259 पर स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य की स्थिति क्या है, पूर्ण हुआ, अधूरा है या रद्द किया गया है, स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

सूचना उपलब्ध कराने का माध्यम साधारण कागज पर प्रमाणित प्रतियों सहित।

मैंने सूचना के संदाय की फीस हेतु शुल्क 10 रूपये का भुगतान ऑनलाईन कर दिया है, बाकी का भुगतान भी नियमानुसार कर दिया जायेगा।

जगदीश प्रसाद

दिनांक 27-08-2025

भवदीय,

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बोदूराम जाति जाट
निवासी ग्राम नारायणपुरा, तहसील कुचामन,
जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान),
मो. 7427880561